

| | |
|-----------------|--------------|
| मौसम | |
| ग्रामियर | भोपाल |
| अधि. 25.0 | अधि. 24.0 |
| न्यून. 10.0 | न्यून. 14.0 |

भारत मत



सिनेमा@पैज-07

■ ग्रामियर ■ इंडिया ■ भोपाल से एक साथ प्रकाशित

झांसी, रविवार 22 दिसंबर 2024 पौष कृष्णपक्ष-7, संवत् 2081, वर्ष-10 अंक-130 कुल पृष्ठ-8

मूल्य-₹ 2.00

Email- editorbharatmat@gmail.com

सरकार जानकारी छिपाना चाहती है, केंद्र ने कहा था- सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं होगी

खड़गे बोले- चुनाव नियमों में बदलाव इलेक्शन कमीशन पर हमला

बड़े दिल्ली, एजेंसी

बड़े दिल्ली, एजेंसी ने कहा कि नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता पर हमला किया है। रविवार सुबह X पर पोस्ट में उन्होंने कहा- पहले मोदी से CJI को चुनाव आयुक्तों की नियमिती करने वाले पैलात से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को बोर्ड लिस्ट से नाम हटाए जाने और EVM में ड्रांसफेरेंस के बारे में लिखा, तो ECI ने अपनानजनक लहजे में जवाब



दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के CCTV, वेबकारिंग फुटेज और उम्मीदवारों की बीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्शनीक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। अधिकारियों ने बताया कि AI के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के CCTV फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नियंत्रित फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोई जा सकते हैं।

जयशंकर बोले-

किसी वीटो के चलते भारत अपने फैसले नहीं लेगा



बड़े दिल्ली, एजेंसी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत कभी भी अपने चुनावों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुचित नहीं दे सकता है। मुंबई के एक कार्यक्रम में उन्होंने बीडियो मैसेज में कहा- भारत अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा, उसे बिना ढेर करेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर जब और गहराई से जुड़ा है, तो उसके परिणाम गहरा होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की समृद्धि विरासत से दुनिया को बहुत कुछ सीखने की है, तोकन यह तभी सम्भव है जब भारतीय अपने पर करें। हमारी आजादी को न्यूरेलिटी से कनफ्रूज न करें। हम वही करेंगे जो गढ़ हित में होगा देश अपनी पहचान खोज रहा- जयशंकर ने कहा कि भारत एक असाधारण राष्ट्र है, क्योंकि यह एक सभ्यता देश है। इसकी सांस्कृतिक तकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने से ही यह वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकेगा।

असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई अब तक 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया

गुवाहाटी, एजेंसी


असम के मुख्यमंत्री हिंसंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 335 मामले दर्ज किए हैं। गिरफ्तार लोगों को रविवार को अद्यतन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने X पर लिखा, असम बाल विवाह के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। 21-22 दिसंबर की रात को शुरू किए गए तीसरे चरण के अधियान में 416 गिरफ्तारियां की गईं और 335 मामले दर्ज किए गए। हम इस समाजिक बुराई को खत्म करने के लिए साहसिक कदम उठाते रहेंगे। असम मंत्री ने 2023 में फरवरी और अक्टूबर में दो चरणों में बाल विवाह के खिलाफ अधियान शुरू किया था। फरवरी में पहले चरण में 3,483 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4,515 मामले दर्ज किए गए, जबकि अक्टूबर में दूसरे चरण में 915 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 710 मामले दर्ज किए गए।

20 साल से अलग कपल का तलाक मंजूर किया

सुप्रीम कोर्ट बोला- शादी विश्वास पर आधारित रिश्ता: इसका मकसद खुशी और सम्मान है, विवाद नहीं;

बड़े दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का रिश्ता अपनी भरोसे, साथ और साझा अनुभवों पर टिका होता है। अगर ये चीजें लंबे समय तक नहीं हों तो शादी सिफर कराने पर रह जाती है। कोर्ट ने अगे कहा कि शादी का उद्देश्य दोनों की खुशी और सम्मान है, न कि तात्पात्र और विवाद। कोर्ट ने यह दियाँगी मदास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए की, जिसमें 20 साल से अलग रहे रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपति को तलाक देने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही बीटी को पढ़ाई और भवियत के खर्चों के लिए भी 50 लाख रुपए देने का कहा। यह रकम पति को चार महीने के अंदर



लाख रुपए एलीमानी देने का आदेश दिया। इसके साथ ही बीटी को पढ़ाई और भवियत के खर्चों के लिए भी 50 लाख रुपए देने का कहा। यह रकम पति को चार महीने के अंदर

मायके से नहीं लौटी तो पति ने तलाक मांगा दंपति की शारी 30 जून 2002 को हुई थी। 2003 में उनके घर एक बीटी का जन्म हुआ। CJI डीवाई चंद्रबूद्ध, जिस्टिस जेबी पारदीवाला

और जस्टिस मोहन प्रिया की बीच लौटी। तब से पति-पत्नी अलग रहे हैं। पति ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया और कहा कि पती ने उनके और उनके परिवार पर ज़िर्ह आरोप लगाए और शिकायतें दर्ज कराई, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हुईं। पती ने इस तलाक का विरोध किया था, लेकिन अदालत का विरोध किया नहीं जाना जाता है।

और जस्टिस मोहन प्रिया की बीच लौटी। तब से पति-पत्नी अलग रहे हैं। पति ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया और कहा कि पती ने उनके और उनके परिवार पर ज़िर्ह आरोप लगाए और शिकायतें दर्ज कराई, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हुईं। पती ने इस तलाक का विरोध किया था, लेकिन अदालत का विरोध किया नहीं जाना जाता है।

और जस्टिस मोहन प्रिया की बीच लौटी। तब से पति-पत्नी अलग रहे हैं। पति ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया और कहा कि पती ने उनके और उनके परिवार पर ज़िर्ह आरोप लगाए और शिकायतें दर्ज कराई, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हुईं। पती ने इस तलाक का विरोध किया था, लेकिन अदालत का विरोध किया नहीं जाना जाता है।

और जस्टिस मोहन प्रिया की बीच लौटी। तब से पति-पत्नी अलग रहे हैं। पति ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया और कहा कि पती ने उनके और उनके परिवार पर ज़िर्ह आरोप लगाए और शिकायतें दर्ज कराई, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हुईं। पती ने इस तलाक का विरोध किया था, लेकिन अदालत का विरोध किया नहीं जाना जाता है।

और जस्टिस मोहन प्रिया की बीच लौटी। तब से पति-पत्नी अलग रहे हैं। पति ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया और कहा कि पती ने उनके और उनके परिवार पर ज़िर्ह आरोप लगाए और शिकायतें दर्ज कराई, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हुईं। पती ने इस तलाक का विरोध किया था, लेकिन अदालत का विरोध किया नहीं जाना जाता है।

और जस्टिस मोहन प्रिया की बीच लौटी। तब से पति-पत्नी अलग रहे हैं। पति ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया और कहा कि पती ने उनके और उनके परिवार पर ज़िर्ह आरोप लगाए और शिकायतें दर्ज कराई, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हुईं। पती ने इस तलाक का विरोध किया था, लेकिन अदालत का विरोध किया नहीं जाना जाता है।

और जस्टिस मोहन प्रिया की बीच लौटी। तब से पति-पत्नी अलग रहे हैं। पति ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया और कहा कि पती ने उनके और उनके परिवार पर ज़िर्ह आरोप लगाए और शिकायतें दर्ज कराई, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हुईं। पती ने इस तलाक का विरोध किया था, लेकिन अदालत का विरोध किया नहीं जाना जाता है।

और जस्टिस मोहन प्रिया की बीच लौटी। तब से पति-पत्नी अलग रहे हैं। पति ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया और कहा कि पती ने उनके और उनके परिवार पर ज़िर्ह आरोप लगाए और शिकायतें दर्ज कराई, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हुईं। पती ने इस तलाक का विरोध किया था, लेकिन अदालत का विरोध किया नहीं जाना जाता है।

और जस्टिस मोहन प्रिया की बीच लौटी। तब से पति-पत्नी अलग रहे हैं। पति ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया और कहा कि पती ने उनके और उनके परिवार पर ज़िर्ह आरोप लगाए और शिकायतें दर्ज कराई, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हुईं। पती ने इस तलाक का विरोध किया था,

